मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3–11/2000/1/3 भोपाल, दिनांक 6 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।

विषयः– फरलो अवधि में वेतनवृद्धि का लाभ देने बावत्।
संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 2/5 अगस्त, 2002.

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–11/2000/3/एक, दिनांक 20 फरवरी, 2008 को निरस्त करते हुए पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि फरलो से वापसी उपरान्त वापसी की तारीख को मूल वेतन वह निर्धारित किया जाये जो अंतरिम अवधि की सभी वेतनवृद्धियाँ (अन्यथा अपात्र न होने की दशा में) स्वीकृत होने पर इस दिनांक को देय होता, किन्तु फरलो की अवधि के लिये फरलो योजना की कंडिका 2 (7) के अनुसार देय राशि के अलावा कोई राशि नहीं दी जायेगी अर्थात् एरियर की पात्रता नहीं होगी।

2/ उपरोक्त निर्देश फरलो से वापसी पर केवल वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिये है। इससे समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2/5 अगस्त, 2002 द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.12 एवं 2.13 प्रभावित नहीं होंगे। इन बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/3/2010
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

............2

पृष्ठांकन कमांक सी 3–11/2000/1/3 भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010

प्रतिलिपि --

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र.भोपाल,
8. मंत्री/राज्य मत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
10. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचित/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सवि/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल,
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मं.प्र. भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश.शासन
सामान्य प्रशासन विभाग